



झारखण्ड सरकार

उपायुक्त का कार्यालय (जिला बाल संरक्षण इकाई), खूँटी।

Add- Vikash Bhawan, 2nd floor, Room No-03, Collectorate Building, Khunti

Email ID – dcpskhunti@gmail.com

Contact No- 9801117854

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत

जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-05/म0बा0/ICPS –नियु0–नियमा0–575/2015–1835, दिनांक–20.07.2016, अधिसूचना संख्या-05/म0बा0/ICPS –नियु0–नियम–575/2016–3761, दिनांक–14.09.2017, सरकार के सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प ज्ञापांक– 860, दिनांक– 31.03.2023 एवं मिशन वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी व्यक्तियों से निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएँ।

जिला बाल संरक्षण इकाई, (DCPU)

Sr No.	Post Code	Designation	No of Post	Age	Remuneration / pm	Educational Qualifications/अतिरिक्त योग्यता	Work Experience	Category
01	DCPS 03	Protection Officer-NON Institutional Care	01	30–45 वर्ष	27804 / –	Post Graduate degree in Social Work /Sociology/ Child Development/ Human Rights/ Public Administration/ Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health / Community Resource Management from a recognized University. OR Graduate in Social Work/Sociology/ Child Development/ Human Rights/ Public Administration/ Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health/ Community Resource Management from a recognized University with 2 years' experience in project formulation/ implementation, monitoring and supervision in the preferably in the field of Women & Child Development / Social Welfare Proficiency in Computer	बाल कल्याण / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	अनारक्षित-01

(Handwritten signatures)



						किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 / अतिरिक्त योग्यता होगी।		
02	DCPS 10	Outreach Worker	01	21- 35 वर्ष	10592/-	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण (अच्छा संचार कौशल)।	अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	अनारक्षित-01

2. नियम एवं शर्तें :- सभी पदों के लिए

- I. उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जायगी।
- II. **राष्ट्रीयता**— आवेदक भारत का नागरिक हो।
- III. **पदों में आरक्षण**— संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
- IV. **परिलब्धि**— विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ क्रमांक-1 के अनुसार अथवा भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प/परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
- V. क्रमांक-1 में निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु कर्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार देय होगा।
- VI. **नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण आदि**—
 - (क) नियमावली के क्रमांक-1 में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होंगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।
 - (ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
 - (ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम-VI (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

Handwritten signatures and initials.



- (घ) जिला स्तरीय पदों पर संविदा पर की गई नियुक्ति का पद जिला स्तरीय होगा और इनका पदस्थापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में जिला बाल संरक्षण इकाई में की जाएगी।
- (ड.) जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिए किया जाएगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् ये जिला स्तरीय पद होंगे।
- (च) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

3. चयन प्रक्रिया -

- (i) पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्रि पदाधिकारी नियु0-नियमा0-575 /2015-1835, दिनांक-20.07.2016, नियम-16 के अनुरूप होंगे। आवश्यकतानुसार नियंत्रि पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प /परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।
- (ii) प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात् अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जाति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत नियुक्ति नियमावली कंडिका - 13 (ख) में अंकित नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदक के द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
- (iii) सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जाएगी एवं उनके सभी प्रमाण-पत्रों की जाँचोपरांत सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।
- (iv) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अलग-अलग आवेदन समर्पित कर सकेगा।
- (v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-4063, दिनांक-18.05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूह- 'ख' अराजपत्रित, समूह- 'ग' एवं समूह- 'घ' समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- (vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198, दिनांक-18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया

per A 9



निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होंगे।

झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य राज्य के निवासी को भी नियुक्ति हेतु योग्य माना जायेगा।

4. योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया –

प्रत्येक पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा :-

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम अंक	= 60
(ख) अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम अंक	= 20
(ग) अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	= 20
कुल अधिकतम अंक	= 100

नोट :- (i) एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जाएगा।

(ii) एक से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जाएगी, जिसका प्राप्तांक अधिक होगा।

अभ्यर्थियों के बीच टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर चयन की प्रक्रियाएँ—

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात् अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगा।

(घ) नियुक्ति नियमावली के नियम-16 (ख) में उपरोक्त में वर्णित पदों के नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त है। नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा संबंधित उपायुक्त करेंगे।

5. विभिन्न पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व –

(क) सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्व समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा-निर्देश/मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(ख) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय-समय पर ऐसे सौपे गए कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्वों का पुनःनिर्धारण किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण – प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्ति/नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदण्ड विभाग या

134



नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रूप से नियुक्त समझा जाएगा।

7. अवकाश – संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे

8. अन्यान्य –

- (क) नियमावली में अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना/परिपत्र जारी कर इसका परिमार्जन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जाएँगे।
- (ख) नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों के लिए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जाएगी तो इस संबंध में विभाग समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश परिपत्र/अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जाएँगे।
- (ग) पदों की संख्या उनके प्रकार, उनकी परिलब्धियाँ आदि में किसी परिवर्तन की स्थिति में विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना/परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जाएँगे।
- (घ) संविदा पर नियुक्त कर्मों का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मों के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।
- (ङ.) नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली का अंग समझा जाएगा।
- (च) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो नियुक्ति समिति/नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे आवेदकों की नियुक्ति रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदन में निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-

- (क) मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- (ख) इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- (ग) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- (घ) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- (ङ.) अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- (च) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण-पत्र।
- (छ) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ज) संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों का मान्य होगा। (कार्य अनुभव अवधि का वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का पर्ची/बैंक पासबुक की विवरणी की छायाप्रति संलग्न करना होगा।)
- (झ) कंप्यूटर में दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र।



2. जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25/07/26 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा
3. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर email id- dcpskhunti@gmail.com में भेजना है तथा मूल प्रति रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट जिला बाल संरक्षण इकाई, खूँटी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। समर्पित दस्तावेजों में भिन्नता होने पर mail id में प्राप्त दस्तावेज ही मान्य होंगे।
पता- जिला बाल संरक्षण इकाई, विकास भवन, द्वितीय तल्ला, कमरा संख्या -03 समाहरणालय भवन खूँटी, झारखण्ड पिन कोड-835210 के पते पर भेजा जा सकता है।
4. उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता की विवरणी निम्नलिखित Website-www.khunti.nic.in पर देखी जा सकती है।


जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,
खूँटी।


प्रभारी पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
खूँटी।


उप विकास आयुक्त,
खूँटी।


उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक- 226/0115/26 दिनांक- 04/07/2026

- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिला की वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- निदेशक-सह- सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,
खूँटी।


प्रभारी पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
खूँटी।


उप विकास आयुक्त,
खूँटी।


उपायुक्त,
खूँटी।

APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT UNDER MISSION VATSALYA SCHEME

--	--	--	--	--	--

**Passport size
photograph**

2. Application for the post of:

3. District applied for _____ (In case of district level post)

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

M	F
---	---

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible]

12. Permanent address of communication with Pin Code :

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

13. Educational qualification

Examination passed	Name of Board / University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade / Division

14. Professional / additional / any other qualification :

Examination passed	Name of Board / University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade / Division
--------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	------------------

14a. Professional Memberships / Licensure :

- _____
- _____
- _____
- _____

15. Work experience :

Sl. No	Name of Organization	From	To	No. of Years	Nature of work

16. Whether presently serving in any Government/ Undertaking :

17. Enclosures : Photo Copy of Documents / Certificate related to Educational Qualification, Professional/ other qualification, Age, Work Experience, Caste Certificate, Residential Certificate, any photo Identity card (Aadhar, Driving License, PAN etc.)

Declaration

Certify that above mentioned information are true, and if found to be false, District Child Protection Unit may cancel my candidature at any state of selection process at its sole discretion.

Note : Candidature is provisional. All candidates are directed to bring their original certificate for verification at the time when asked for by recruiting authority, failing which your candidature will not be considered.

Date:

Place:

(Signature of the Candidate)